न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –68 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
बक्षाराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी रियाश्यामदास तहसील मेडता जिला नागौर		तहसीलदार मेडता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री धर्माराम खुडखुडिया।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 5/7/18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 07 / 2017 सरकार बनाम बक्षाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.05.2018 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण संख्या 7 / 17 का नोटिस मिलने पर विस्तृत तथ्यों का जवाब अधिवक्ता के जरिये अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 8.12.2017 को पेश किया व अधिवक्ता ने सूचित किया कि जो भी आगामी कार्यवाही या आदेश होगा उसके संबंध में अवगत करवा दिया जावेगा। लेकिन तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में दिनांक 21.02.2018 को बेदखल व जुर्माना का आदेश अपीलांट के विरूद्ध कर दिया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को उपलब्ध नहीं करवाई व इसी दौरान तहसीलदार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बेदखली के आदेश की औपचारिकता पूरी करते ही एक अन्य और प्रकरण संख्या 189 / 2017 अपीलांट के विरूद्ध दर्ज कर पूर्व के प्रकरण संख्या 7 / 17 का हवाला देकर पश्चात्वृति अतिक्रमी बताकर बेदखली व सिविल कारावास का निर्णय दिनांक 17.04.2018 को पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर उसके विरूद्ध अपील पेश की तब इस निर्णय दिनांक 21.02.2018 जो प्रकरण संख्या 7 / 17 में पारित किया उसकी जानकारी हुई, तब अपीलांट ने तुरन्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने कहा कि उनके द्वारा पूर्व के निर्णय की सूचना भिजवाई गई थी मगर ऐसी कोई सूचना अपीलांट को नहीं मिली इसलिए तुरन्त नकल का आवेदन पेश किया जिस पर प्रमाणित प्रतियां दिनांक 14.05.2018 को प्राप्त हुई व दिनांक 15.05.2018 व 16.05.2018 को अपीलांट अस्वस्थ होने की वजह से अपील करने नहीं आ सका व दिनांक 17.05.2018 को नागौर आकर अपील तैयार करवा कर तुरन्त यह अपील पेश की है जो जानकारी से अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्याय निहित होने का कथन करते हुऐ न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 36 रकबा 1.09 हैक्टेयर वाके मौजा रियाश्यामदास के सम्पूर्ण रकबे पर अपीलांट के पिता छोगाराम जागीर रिज्यूमशन के पहले से ही पडौसी खसरा सहित काबिज काश्तकार थे व खेत के नीचे के हिस्से पर धौरा–पाली बांध कर उसे काश्त करते रहे व उपर के हिस्से पर ज्यादा बरसात होने पर काश्त करते व उपरेटा के कारण फसल कभी होती, कभी नहीं होती। गत बन्दोबस्त में नीचे के हिस्से के हक खातेदारी अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हो गयी मगर कुछ भाग के हक खातेदारी दर्ज नहीं किये मगर उस पर भी कब्जा काश्त लगातार संवत् 2010 से लेकर आज दिन तक अपीलांट का हुआ, रहा व है। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में जागीर के समय में ही रिहायशी निर्माण किया जिसमें अपीलांट निवास करने लगा। उक्त जायगा बाबत पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अधिनस्थ तहसीलदार के यहां धारा 91 रा.भू.राजस्व अधिनियम के तहत् उक्त प्रकरण संख्या 7/17 दर्ज कर नोटिस जारी किया जिस पर विस्तृत तथ्यों का जवाब अधिवक्ता के जरिये अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.12.2017 को पेश किया व अधिवक्ता ने सूचित किया कि जो भी आगामी कार्यवाही या आदेश होगा उसके संबंध में अवगत करवा दिया जावेगा। लेकिन तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में दिनांक 21.02.2018 को बेदखल व जुर्माने का आदेश अपीलांट के विरूद्ध कर दिया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को उपलब्ध नहीं करवाई व इसी दौरान तहसीलदार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बेदखली के आदेश की औपचारिकता पूरी करते ही एक अन्य और प्रकरण संख्या 189/2017 अपीलांट के विरूद्ध दर्ज कर पूर्व के प्रकरण संख्या 7/17 का हवाला देकर पश्चात्वृति अतिक्रमी बताकर बेदखली व सिविल कारावास का निर्णय दिनांक 17.04.2018 को पारित कर दिया।

आदेश जैर अपील बिना अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये, बिना मौका देखे, बिना साक्ष्य सबूत लिये तथा पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अनुचित रूप से विश्वास करते हुए विवादित खसरा कोई सार्वजनिक हित का न होते हुए भी तथा चारागाह, नाडी, रास्ता, ओरण इत्यादि न होते हुए भी अदालत मातहत ने अत्यधिक कठोरता रखते हुए आदेश/निर्णय जैर अपील पारित किया है जो अनुचित, विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्वक है इसलिए अपील स्वीकार योग्य है व आदेश जैर अपी निरस्त योग्य है। अपीलांट का पुश्तेनी कब्जा काश्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले से रहता आया है। राजकीय परिपत्रों के अनुसार व मौके पर अपीलांट के पिता व अपीलांट का काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय से ही कब्जा काश्त है कानूनन अपीलांट के खातेदार हो चुका है मगर पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके से विपरीत हक खातेदारी अपीलांट के हक में दर्ज नहीं किये है जिस बाबत अपीलांट जल्दी ही घोषणा खातेदारी का वाद पेश करने वाला है। अपीलांट बेनाफाईड काश्तकार है व भूमिहीन अनुसूचित जाति का काश्तकार है। अपीलांट के पास पहले से ही ज्यादा भूमियां नहीं है व अतिक्रमण वाली भूमि को मिला कर भी 15 बीघा से कम रकबे पर काश्तकार है। राजकीय परिपत्रों के तहत उक्त रकबा अपीलांट के हक में नियमन किया जाकर व नियमन की सिफारिश कर सलाहकार समिति के सक्षम प्रकरण पेश करने का उचित मामला होते हुए भी बेदखली का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कार्यवाही पडौसी काश्तकार की पटवारी से मिलावट कर करवाई हुई कार्यवाही है। वर्तमान विधि के अनुसार हक खातेदारी में भी धारा 251क, राज0टि0एक्ट के तहत् रास्ता कायम

कलक्टर नागौर

न्यायालय कलक्टर जिला नागौर (राजस्थान)

करने में कानूनी बाधा न होते हुए भी अत्यधिक कठोर दण्डादेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

अपीलांट से अदावती रखने वाले लोगो ने पटवारी आदि से मिलावट करके केवल मात्र अपीलांट को नाजायज तंग परेशान करने व सिविल कारावास भुगताने के लिए अल्प समयावधि में ही आनन फानन में अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करने की मन में शुरू से ही बदनियति रखते हुए बिना जांच किये बेदखली का आदेश पारित करवाया हैं व उसके पश्चात् पश्चात्वृति अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास से दण्डित करने का भी निर्णय पारित कर दिया गया है जो तमाम कार्यवाही व आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गयी है। जिससे भी निर्णय/आदेश जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व किस्म भूमि व अपीलांट की जाति, भौतिक बेदखली के दस्तावेजों के अभाव में व राजकीय परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पुनः राजस्व रेकर्ड में कब्जा बाबत गिरदावरी व इन्द्राज का अवलोकन कर अपीलांट के पास पहले से ही धारित भूमि व हिन्दू परिवार के सदस्यों के नोशनल शेयर के अनुसार हिस्से की भूमि व अतिक्रमित भूमि सहित यदि अपीलांट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में होने से अपीलांट के हक में उक्त भूमि का नियमन करने के आदेश निर्देश देते हुए पत्रावली रिमाण्ड करने का उचित मामला होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/निर्णय अपील निरस्त करने व पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर पुनः राजस्व रेकर्ड में कब्जा बाबत गिरदावरी व इन्द्राज का अवलोकन कर अपीलांट के पास पहले से ही धारित भूमि व हिन्दू परिवार के सदस्यों के नोशनल शेयर के अनुसार हिस्से की भूमि व अतिक्रमित भूमि सहित यदि अपीलांट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में होने से अपीलांट के हक में उक्त भूमि का नियमन करने के आदेश निर्देश देते हुए पत्रावली रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा वादगस्त भूमि पर जो नाकाबिल नियमन है, पर बाजरी की फसल काश्त कर अवैध कब्जा किया है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि अनुसार है। राजपैरोकार ने न्यायिक दृष्टान्त निगरानी/एल.आर. /2885/2006/ नागौर मूलनाथ बनाम सरकार मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 24.04.2017 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया की धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने निर्णय जैर अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट ने ग्राम रियाश्यामदास के खसरा नम्बर 36 किस्म गैर मुमकिन मगरा रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि में बाजरी की काश्त कर अवैध कब्जा करने की पटवारी रियांश्यामदास की भू अभिलेख निरीक्षक हरसोलाव के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपीलान्ट को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.12.2017 को जबाव प्रस्तुत किया गया। उक्त जबाव पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा पटवारी रियांश्यामदास से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही, जिसके क्रम पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 को तहसीलदार मेड़ता के सक्षम प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का द्वारा अवैध कब्जा कर रखा हुआ है एवं आज दिनांक तक अपीलान्ट बक्षाराम अतिक्रमी होना एवं उक्त भूमि सार्वजनिक हित की होने से आवंटन व नियमन हेतु उपलब्ध भूमियों की श्रेणी में नहीं आना अवगत कराते हुए अपीलान्ट का अतिक्रमण हटाया जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता द्वारा वकील अपीलान्ट को पूरक जबाब प्रस्तुत करने हेतु भी कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा पूरक जबाब पेश नहीं करने पर दिनांक 15.2.2018 को जबाब बंद किया जाकर दिनांक 21.02.2018 को निर्णय जैर अपील पारित किया गया।

अपीलान्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले से रहता आया हैं। अपीलान्ट बोनाफाईड काश्तकार है व भूमिहीन अनुसूचित जाति का काश्तकार होने एवं अपीलान्ट अतिक्रमण वाली भूमि को मिला कर भी 15 बीघा से कम रकबे पर काश्तकार है इसलिए राजकीय परिपत्रों के अनुसार अपीलान्ट भूमिहीन की परिभाषा में शुमार योग्य होने की स्थिति में होने से अपीलान्ट के हक में नियमन करने के निर्देश देते हुऐ रिमाण्ड करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है। उक्त संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 के अनुसार उक्त भूमि सार्वजनिक हित की होने से आवंटन व नियमन हेतु उपलब्ध भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार अपीलान्ट की भूमि नियमन योग्य नहीं है। इसके अलावा राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि जहां तक पुराने कब्जे के आधार नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो पूर्णतया विधि सम्मत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कमल पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर